संलग्नक

विषय-वस्तु

1.	**प्रमुख अवधारणाएं**	4
1.1	कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व	4
1.2	गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग	4
1.3	सतत विकास	5
2.	**अंतर्राष्ट्रीय पहल**	6
2.1	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - वित्तीय पहल (यूएनईपी-एफआइ)	6
2.2	जागतिक सूचना पहल (ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव)	6
2.3	अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम	7
2.4	"इक्वेटर सिद्धांत"	7
2.5	वित्तीय संस्थाओं संबंधी कोलेवेक्शियो घोषणा	8
3.	**गर्म होती पृथ्वी (ग्लोबल वार्मिंग)**	8
3.1	ग्रीनहाउस प्रभाव	8
3.2	समस्या की गहराई	9
3.3	स्टर्न समीक्षा - जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र	10
3.4	हैपी प्लैनेट इंडेक्स	10
3.5	क्योटो प्रोटोकोल	11
4.	**संबंधित नवीनतम पहल**	12
4.1	एफ्टी सस्टेनेबिल बैंकिंग पुरस्कार	12
4.2	2050 में विश्व-प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा दी गयी रिपोर्ट - मार्च 2006	13
4.3	पर्यावरण की दुर्दशा	13
4.4	कार्बन व्यापार	13
5.	**कार्ययोजना**	16
अनुबंध I		19
	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - वित्तीय पहल (यूएनईपी-एफआइ)	20
अनुबंध II		21
	जागतिक सूचना पहल (ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव)	23
अनुबंध III		24
	इक्वेटर सिद्धांत	25
अनुबंध IV		26
	वित्तीय संस्थाओं संबंधी कोलेवेक्शियो घोषणा	27
अनुबंध V		28
	स्टर्न समीक्षा : जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र - निष्कर्षों का सारांश	31
अनुबंध VI		32
	स्रोत	32

कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व, सतत विकास और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग

1. प्रमुख अवधारणाएं

1.1 कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व

1.1.1 कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कंपनियां सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अपने व्यवसाय परिचालनों तथा अपने हित-धारकों के साथ पारस्परिक क्रिया में स्वैच्छिक आधार पर जोड़ती हैं । लिस्बन सम्मेलन 2000 के बाद बनाये गये यूरोपीय मल्टी स्टेकहोल्डर फोरम में यूरोपीय परिषद ने पहली बार व्यवसाय में कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया था और कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व पर अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस परिभाषा को अपनाया । कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय नीति निर्माताओं, प्रबंधकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की कार्यसूची में हाल ही में शीर्ष पर पहुंच गया है । आर्थिक और सामाजिक चिंताएं किसी भी संस्था के आर्थिक ब्रांड तथा प्रतिष्ठा पर निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव डाल रही हैं । इसके लिए कंपनी अभिशासन, गैर-कार्यपालक निदेशकों की अनिवार्य न्यूनतम संख्या तथा किसी उपक्रम के परिचालनों और वित्त के संबंध में अधिक ब्योरे उद्घाटित करने से संबंधित उभरता विधान अभिप्रेरणा का स्रोत है । एक कारगर कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के तीन मंत्र हैं - प्रतिबद्धता, सुस्पष्टता तथा कंपनी के मूल्यों के साथ सामंजस्य । यह सामंजस्य इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि समाज के प्रति जिम्मेदारियों के संबंध में कंपनी की प्रवृत्ति उस तरीके के अनुकूल है जिसमें वे अपना समग्र कारोबार चलाती है । दूसरे शब्दों में, यह उसके मूल्यों और संस्कृति के अनुरूप है ।

1.1.2 कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व पर वाद-विवाद में महत्वपूर्ण मुद्दे इसकी सीमाओं की परिभाषा अथवा गतिविधियों की सीमा, मूल्यांकन के मापदंड अथवा मानक स्थापित करने तथा प्रबंध पहल के जरिए स्वैच्छिक कार्य के दायरे और सीमाओं के आस-पास केंद्रित हैं । प्रबंध संबंधी पहल से यह मुद्दा उभरता है कि क्या व्यावसायिक नेतृत्व से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण सक्रिय बने । क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी को औद्योगीकरण के अवांछनीय प्रभावों को कम करने के सभी संभावित कदमों से आगे ले जाने के रूप में समझना चाहिए । सामाजिक उत्तरदायित्व को विचार में लेने के लिए कंपनियों के प्रति जनता का समर्थन बढ़ता जा रहा है । संस्थागत शेयरधारक अब इसे एक ऐसे मुद्दे के रूप में ले रहे हैं जिनका समाधान निदेशक मंडलों द्वारा किया जाना चाहिए । कंपनियां सामाजिक जिम्मेदारी की अवधारणा को समझने लगी हैं तथा उसे अपने स्वयं के हित में मान रही हैं । कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिये एक कंपनी अपने लोगों से संपर्क साध सकती है और उसे उनके विचार और मुद्दे बहुतायत से मिल सकते हैं । यह एक महत्वपूर्ण संपर्क है जिसके बिना आगे चलकर व्यवसाय संदर्भहीन बन जाएगा । वित्तीय क्षेत्र भी कई गैर-वित्तीय मुद्दों के प्रति जागरूक होने लगा है ।

1.2 गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग

गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रथा गैर-सरकारी संस्थाओं से दबाव के चलते शुरू हुई जिसका यह दावा था कि कई फर्मों में सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी का अभाव है । अब इस बात को समझा जाने लगा है कि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति इसके तुलन पत्र की आस्तियों तथा लाभ-हानि लेखे में घट-बढ़ के अलावा कई अन्य बातों पर कहीं अधिक निर्भर करती है । कंपनी की प्रतिष्ठा और कर्मचारी जैसी अमूर्त आस्तियां किसी कंपनी की मालियत में अधिक महत्व रखती हैं, हालांकि कंपनियों पर इनके बारे में कुछ भी उद्घाटित करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है । किसी कंपनी की प्रतिष्ठा उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है । प्रतिष्ठा किसी कंपनी के लिए मूल्य सृजित करने की शक्ति रखती है । अच्छी प्रतिष्ठा के लाभों में ग्राहकों, कर्मचारियों तथा निवेश को आकर्षित करने, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं को अभिप्रेरित करने तथा अपने प्रतिस्पर्धियों से कंपनी को अलग बनाने की क्षमता शामिल है । अच्छी प्रतिष्ठा मूल्य संरक्षण में भी मदद करती है क्योंकि यह संवीक्षा संकट तथा प्रतिस्पर्धी आक्रमण के प्रभाव को कम कर सकती है । गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग कंपनी के हिताधिकारियों के साथ खुले और पारदर्शी तरीके से संवाद का अवसर उपलब्ध कराती है । अपनी गैर-वित्तीय रिपोर्टों में फर्में पिछले वर्ष के दौरान अपने पर्यावरणगत तथा सामाजिक प्रभाव का ब्योरा स्वैच्छिक रूप से देती हैं । गैर-वित्तीय रिपोर्टों में दी गयी जानकारी किसी कंपनी के जोखिम निर्धारण में योगदान देती है । किसी कंपनी के जोखिम प्रोफाइल के समग्र मूल्यांकन में गैर-वित्तीय प्रकटीकरण धीरे-धीरे महत्व प्राप्त करता जा रहा है ।

1.3 सतत विकास

1.3.1 सतत विकास को मोटे रूप में पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक प्रणालियों की गुणवत्ता बनाये रखते हुए आर्थिक विकास में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है । विकास में पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों को शामिल करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरणगत संसाधन सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं । सतत विकास के सिद्धांत समस्त औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है क्योंकि समस्त गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कल्याणकारी गुणवत्ता को प्रभावित करने की संभावना मौजूद है । वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र ऐसी कई परियोजनाओं तथा विकास की प्रवृत्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है जो उन से प्रोद्भूत होती हैं ।

1.3.2 विकास की निरंतरता बनाये रखने के प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र बहुत कुछ योगदान दे सकता है । दैनिक परिचालनों को अधिक सुस्पष्ट बनाने, अधिक कार्यक्षम बनाने तथा सामाजिक संरचनाओं को समर्थन देने में आंतरिक प्रयास मदद कर सकते हैं । पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों को कार्यनीतिक परिचालनों के साथ समन्वित करना भी महत्वपूर्ण है । इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं न केवल यह सुनिश्चित करती हैं कि आंतरिक कार्य में निरंतरा बनी रहे बल्कि वे स्वयं वित्तपोषण को अधिक निरंतरता प्रदान करने में मदद कर सकती हैं ।

1.3.3 सतत वित्त वह वित्त है जो केवल आर्थिक प्रभाव की अपेक्षा परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के पर्यावरण संबंधी और सामाजिक परिणामों को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है । यह पर्यावरण संबंधी और सामाजिक मूल्यांकनों को वित्तीय विश्लेषणों के साथ जोड़ने अथवा उत्पादों को प्रत्यक्षतः पर्यावरण संबंधी और सामाजिक केंद्रण (फोकस) के साथ विकसित करने में मदद कर सकता है । इस प्रकार के उत्पादों में सतत तथा उत्तरदायी निवेश नीतियां शामिल हैं । सतत तथा जिम्मेदार निवेश एक ऐसी निवेश ऋण नीति है जो ऐसे निवेश लक्ष्यों की पहचान करती है जिनमें निवल पर्यावरण और सामाजिक लाभ निहित होते हैं अथवा कोई निवल पर्यावरण और सामाजिक हानि नहीं होती तथा वित्तीय वृद्धि उपलब्ध होती है ।

2. अंतर्राष्ट्रीय पहल

अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई कदम उठाये गये हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम युनाइटेड नेशन्स एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेन्स इनिशियेटिव है । अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कदमों में ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव, ईक्विेटर सिद्धांत, वित्तीय संस्थाओं पर कोलेवेकियो घोषणा, लंदन सिद्धांत आदि शामिल हैं जिन्होंने सीएसआर तथा सतत विकास के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सहायता दी है । इन सभी पहलों में जो एक समान प्रसंग व्याप्त है , वह है निरंतरता के संबंध में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका और उत्तरदायित्व के प्रति नागरिक समाज की अपेक्षाओं को जोड़ना । जॉन एलकिंग्टन ने सामाजिक पर्यावरणगत तथा वित्तीय जिम्मेदारी को "ट्रिपल बाटम लाइन" कहा था तथा उसके सतत विकास थिंक-टैंक "सस्टेन एबिलिटी" ने अपना प्रथम सर्वे जारी किया जिसमें गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को महत्व दिया गया है । सस्टेन एबिलिटी ने इस प्रकार का अपना छठा बेंचमार्किंग सर्वे जोखिम और अवसर - गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग में सर्वोत्कृष्ट प्रथा यूएनईपी तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के साथ जारी किया है । इस सर्वे ने यह अनुमान लगाकर एक नये युग का संकेत दिया है कि वर्ष 2010 तक निरंतरता और वित्तीय रिपोर्टिंग पूर्णतः अधिकृत हो जाएंगे ।

2.1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - वित्तीय पहल (यूएनईपी-एफआइ)

यूएनईपी एफआइ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो सतत विकास में वित्त क्षेत्र को शामिल करती है । इस पहल के ब्योरे एक अलग अनुबंध **(अनुबंध I)** में दिए गए हैं । इस पर हस्ताक्षर करनेवाली विश्व-भर की 200 से भी अधिक वित्तीय संस्थाओं में से कोई भी भारतीय वित्तीय संस्था नहीं है ।

2.2 जागतिक सूचना पहल (ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव)

2.2.1 ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव वैश्विक स्तर की एक ऐसी पहल है जिसने गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग को मानक बनाया है जिसे अपनाकर संस्थाएं वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानक बन गई हैं । ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव एक दीर्घकालिक, बहु-हितधारी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसका मिशन वैश्विक रूप से प्रयोज्य निरंतरता रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश विकसित करना और प्रचारित करना है । ये दिशानिर्देश संस्थाओं द्वारा अपने कार्यकलापों, उत्पादों और सेवाओं के आर्थिक, पर्यावरणगत तथा सामाजिक पहलुओं पर रिपोर्टिंग के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने के लिए हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य रिपोर्टिंग संस्थाओं तथा उनके हितधारकों को सतत विकास के लिए रिपोर्टिंग संस्थाओं के योगदान को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता प्रदान करना है । अग्रणी कंपनियों ने हितधारकों के न्यास बनाने शुरू किए हैं और साथ ही साथ पर्यावरण प्रबंध,

कर्मचारी संबंध तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों से संबंधित वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों निर्देशकों पर माप और रिपोर्टिंग द्वारा अपने व्यावसायिक कार्य-निष्पादन में सुधार लाना शुरू किया है । वे मूल्य और मूल्यों को संबद्ध करके एक नये प्रकार का प्रतिस्पर्धी लाभ सृजित कर रहे हैं ताकि ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, व्यावसायिक भागीदारों तथा स्थानीय समुदायों के बीच स्वयं को पसंद की कंपनियों के रूप में स्थापित कर सकें ।

2.2.2 जीआरआइ अब एक स्थायी, स्वतंत्र संस्था है जिसका एक विशिष्ट निदेशक मंडल है और इसका वैश्विक मुख्यालय अमस्टर्डम नीदरलैंड्स में है । निदेशक मंडल के पास न्यासी, वित्तीय, विधिक तथा समग्र नीतिगत जिम्मेदारियां हैं । मोटे तौर पर नीति संबंधी प्रतिनिधिक सलाहकार समूह (दि स्टेक होल्डर काउंसिल) तथा तकनीकी मुद्दे संबंधी प्रतिनिधिक सलाहकार समूह (दि टेक्नीकल एडवाइजरी काउंसिल) यह सुनिश्चित करते हैं कि जीआरआइ के मुख्य मूल्य अर्थात् समावेशन तथा पारदर्शिता अक्षुण्ण बने रहते हैं । संस्थागत हितधारक जीआरआइ के मिशन में सहयोग करते हैं, वार्षिक बजट में अंशदान करते हैं तथा स्टेक होल्डर काउंसिल का चुनाव करते हैं । जीआरआइ पर एक लेख अनुबंध II में दिया गया है ।

2.3 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आइएफसी)

विश्व बैंक से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा की एक क्रियाविधि विकसित की है जिसके द्वारा यह उन विभिन्न परियोजनाओं की सटीकता सुनिश्चित करता है जिन्हें यह वित्त उपलब्ध कराता है । विश्व बैंक समूह के एक सदस्य के रूप में आइएफसी विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण और ईक्विटी वित्त उपलब्ध करानेवाले बहुपक्षीय स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत है । आइएफसी की पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा क्रियाविधि उस प्रक्रिया को निरूपित करती है जिसके द्वारा आइएफसी किसी प्रस्तावित परियोजना और कार्य के लिए परियोजना के प्रायोजक के पर्यावरण मूल्यांकन की सटीकता सुनिश्चित करता है ताकि परियोजना से संबद्ध पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों और अवसरों का परियोजना के प्रायोजक के साथ समाधान किया जा सके । पर्यावरण संबंधी और सामाजिक समीक्षा का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना आइएफसी की पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक नीतियों का पालन करती है तथा प्रयोज्य मार्गदर्शी सिद्धांतों का भी पालन करती है । ऐसे क्षेत्रों में जिनमें कोई उपयुक्त आइएफसी नीतियां अथवा दिशानिर्देश मौजूद नहीं है, आइएफसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त मानदंडों को लागू करती है । परियोजना प्रायोजक के लिए यह अनिवार्य है कि वह मेजबान देश की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करे । पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक समीक्षा में पर्यावरण संबंधी, सामाजिक, तकनीकी, वाणिज्यिक तथा विधिक संबंधी ऐसे कई मुद्दे शामिल हैं जिनके लिए परियोजना टीम के सदस्यों से जानकारियों की जरूरत होती है । निवेश विभाग परियोजना के समग्र निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है । आइएफसी अपने निवेश संविभाग में परियोजनाओं के पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखता है ।

2.4 इक्वेटर सिद्धांत

आइएफसी के तत्वावधान में विकसित इक्वेटर सिद्धांत परियोजना वित्त उद्योग के लिए विश्व बैंक तथा आइएफसी क्षेत्र विशेष प्रदूषण कमी दिशानिर्देश तथा आइएफसी सुरक्षोपाय नीतियों जैसे बाहरी बेंचमार्क पर आधारित सामान्य ढांचा उपलब्ध कराता है । "इक्वेटर सिद्धांत" नीतिपरक परियोजना वित्त के लिए ऐच्छिक

पर्यावरण संबंधी और सामाजिक दिशानिर्देश हैं । ये सिद्धांत बैंकों तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को ऐसी परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने से प्रतिबंधित करते हैं जो इन दिशानिर्देशों का पालन करने में असफल रहते हैं । ये सिद्धांत आइएफसी की पहल पर वर्ष 2002 में बनाए गए और इन्हें वर्ष 2003 में लागू किया गया । तब से लेकर अब तक विश्व के कई प्रमुख बैंकों ने इन सिद्धांतों को अपनाया है । ये सिद्धांत बैंकों और निवेशकों के लिए वास्तव में इस बात के मानदंड बन गए हैं कि वित्तपोषण की जानेवाली परियोजनाओं के संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से कैसे निपटा जाए । ये सिद्धांत 10 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की परियोजनाओं पर लागू हैं । दि इक्वेटर प्रिंसिपल फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन ने 06 जुलाई 2006 को अंतिम संशोधित इक्वेटर सिद्धांतों के लागू होने की घोषणा की जिसमें विद्यमान मानकों के विषय-क्षेत्र और गुणवत्ता में वृद्धि की गई है । ये संशोधित सिद्धांत आइएफसी के कार्य-निष्पादन मानकों में हुए संशोधनों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिनपर इक्वेटर सिद्धांत आंशिक रूप से आधारित हैं **(अनुबंध III)** ।

2.5 वित्तीय संस्थाओं संबंधी कोलेवेक्शियो घोषणा

बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं और आस्ति प्रबंधकों को पर्यावरण संबंधी और सामाजिक संपोषण को बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका अनिवार्यतः निभानी चाहिए । यह घोषणा वित्तीय संस्थाओं को ऐसे छह मुख्य सिद्धांत **(अनुबंध IV)** अपनाने का आह्वान करती है जो संपोषण के लिए वित्तीय सेवाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व के संबंध में समाज की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं । अधिकांश वित्तीय संस्थाएं ऐसे वित्तीय बाजार सृजित करने में पूर्वसक्रिय भूमिका नहीं निभातीं जो समुदायों और पर्यावरण का ध्यान रखते हों । कंपनियों के रूप में वित्तीय संस्थाएं शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और वित्तप्रदाताओं के रूप में वे अधिकतम लाभ पर नजर रखती हैं । इस दोहरी भूमिका का मतलब यह है कि वित्तीय संस्थाओं ने ऐसे वित्तीय बाजार सृजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है जो अल्पकालिक प्रतिलाभों को अधिक महत्व देते हैं । ये अल्पकालिक लाभ कंपनियों को सामाजिक स्थिरता और परिस्थिति की सुदृढ़ता जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के मुकाबले अल्पकालिक लाभ को महत्व देने के लिए सबल अभिप्रेरक का काम करते हैं । वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग के रूप में वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे निरंतरता के प्रति प्रतिबद्ध हों जो कंपनीगत सामाजिक उत्तरदायित्व आंदोलन की सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं को प्रतिबिंबित करती है । इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि स्वैच्छिक उपाय अकेले ही पर्याप्त नहीं हैं और उन्हें ऐसे विनियमनों का समर्थन करना चाहिए जो क्षेत्र की निरंतरता को आगे बढ़ाने में सहायक हों ।

3. गर्म होती पृथ्वी (ग्लोबल वार्मिंग)

3.1. ग्रीनहाउस प्रभाव

3.1.1. ग्लोबल वार्मिंग (जिसे ग्रीनहाउस प्रभाव भी कहा जाता है) इस बात की ओर इंगित करता है कि पृथ्वी के निचले वातावरण में धीरे-धीरे वायु तापमान बढ़ता जा रहा है । 'ग्रीनहाउस' शब्द का प्रयोग सामान्य दशाओं में पृथ्वी के वातावरण के तापमान पर कुछ गैसों के गर्मी बढ़ानेवाले प्रभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है । दो सौ वर्ष पहले हुई औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक मनुष्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की अतिरिक्त मात्रा छोड़ता रहा है, जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है । मानव-निर्मित कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन ने किसी भी अन्य ग्रीनहाउस गैस के मुकाबले पृथ्वी के प्राकृतिक

ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान दिया है । 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसका योगदान लगभग 60 प्रतिशत रहा है, जबसे मानव-निर्मित ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगा । मैथीन, नाइट्रोअस ऑक्साइड तथा सीएफसी का योगदान क्रमशः लगभग 20%, 4% और 12% रहा है ।

3.1.2. कंप्यूटर मॉडलों ने यह अनुमान लगाया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव से जलवायु में परिवर्तन आता है तो 21वीं शताब्दी के अंत तक पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान 1.4 से 5.8° सेल्सियस (3° से रहने का सबसे ज्यादा अनुमान) के बीच कुछ भी हो सकता है । तापमान के इस परिवर्तन को यदि विचार में लिया जाए तो हम पाते हैं कि पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान जिसकी वजह से 14000 वर्ष पूर्व बर्फ से ढकी पृथ्वी से बर्फ हटी थी 4 से 5° सेल्सियस के बीच ही था । जलवायु में यह परिवर्तन आने में हजारों साल लगे थे । इसके विपरीत, मानव-निर्मित ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से हो रही है जिसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है ।

3.1.3. जलवायु में इतनी तेज गति से होनेवाले परिवर्तन के फलस्वरूप कई पारस्थितिकी प्रणालियों को उसके साथ तालमेल बैठाने का अवसर भी नहीं मिलेगा तथा प्राणियों के उन्मूलन की गति मे संभवतः तेजी आएगी । पशुओं तथा अन्य प्राणियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ-साथ मानव, कृषि, वानिकी, सूखी-भूमि, जल-संसाधनों तथा स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा । इससे वर्षा और हिमपात, समुद्र के जल-स्तर में परिवर्तन होगा तथा भारी गर्मी, भारी वर्षा और भारी ठंड के मौसम थोड़े-थोड़े समय पर आने लगेंगे । यह अपेक्षा की जाती है कि जो समाज वर्तमान में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी दबाव झेल रहा है उसे ही सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वह इन परिवर्तित परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा । इनमें कई विकासशील देश, निचले द्वीप तथा समुद्र के किनारे के क्षेत्र और शहरी गरीब शामिल हैं ।

3.2. समस्या की गहराई

3.2.1. ग्लोबल वार्मिंग समय के साथ बढ़ती गई है और यह समस्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है । पिछली शताब्दी में विश्व-व्यापी तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चढ़ा है तथा 1990 का दशक सबसे गर्म दशक रहा है ।धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ती इस गर्मी की वजह से सभी महाद्वीपों में वन्य-जीवों और पौधों की लगभग 420 भौतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ा है । ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी पर प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है तथा अब इसके प्रभाव को पहले की अपेक्षा ज्यादा महसूस किया जाने लगा है । क्लिमांजरो की बर्फ जैसे ग्लेशियरों का शीर्ष भाग लुप्त हो रहा है । समुद्र का जल स्तर बढ़ने तथा बढ़ती गर्मी के कारण "कोरल रीफ" मर रही है । एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से अकाल पड़ रहे हैं तथा आर्कटिक पर्माफ्रोस्ट पिघलने लगा है । इस बढ़ती गर्मी के प्रभाव से जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं । व्यापक अकाल, समुद्री किनारों पर बाढ़ तथा मौसम में प्रलयंकारी बदलाव आ रहे हैं । यदि पृथ्वी के धरातल की यह गर्मी लगातार बढ़ती रही तो इसके परिणाम काफी भयावह हो सकते हैं । इनमें समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, भूमि का रहनेयोग्य न रहना, जन स्वास्थ्य को नुकसान तथा वन्य-जीवों की तबाही शामिल है । कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी विरोधाभासी रूप से हिम युग में वापस लौट सकती है ।

3.2.2. पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैसों के जमाव में कमी लाने के प्रयास के रूप में विश्व के राष्ट्रों ने क्योटो प्रोटोकल प्रस्तुत किया था । यह प्रोटोकल संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा वर्ष 1997 में रखा गया और उसे सभी देशों को प्रस्तुत किया गया ताकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा सकें ।

3.2.3. ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण मानव की गतिविधियां हैं । ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक कारगर उपाय ग्रीनहाउस गैसों के जमाव को समाप्त करना है, जो मानव के नियंत्रणाधीन है । औसत व्यक्ति द्वारा इसमें कई रूप से कमी लाई जा सकती है । ऊर्जा-छीजन की रोकथाम पृथ्वी पर भारी अंतर ला सकती है । ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं । ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है । आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि यह समस्या गहराती जा रही है और इसका विश्व पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । यद्यपि ये प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देते हैं तथापि आगे होनेवाली क्षति को रोका जा सकता है ।

3.3. स्टर्न समीक्षा - जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र

जलवायु परिवर्तन के अर्थशास्त्र पर स्टर्न समीक्षा एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग का विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़नेवाले प्रभावों का ब्योरा दिया गया है । यह रिपोर्ट यूनाइटेड किंग्डम की सरकार के लिए सर निकोलस स्टर्न ने तैयार की है जो यू. के. सरकार के आर्थिक सेवा विभाग के अध्यक्ष तथा विश्व बैंक के भूतपूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं । 30 अक्तूबर 2006 को जारी स्टर्न समीक्षा ग्लोबल वार्मिंग पर किसी प्रमुख सरकार द्वारा प्रायोजित पहली रिपोर्ट है । इस रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष ये है कि जलवायु में परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत की जरूरत होगी और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20 प्रतिशत की कमी होने का खतरा है । स्टर्न की उक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण बाजार में भूतपूर्व और व्यापक असफलता आ सकती है । उन्होंने आर्थिक और सामाजिक तबाही को कम करने के लिए पर्यावरण करों सहित कई उपायों का सुझाव दिया है । उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार **अनुबंध V** में दिया गया है ।

3.4 हैपी प्लैनेट इंडेक्स

यह इंडेक्स मानवता के कल्याण का और पर्यावरण संबंधी प्रभाव का सूचकांक है जिसे जुलाई 2006 में न्यू इकानॉमिक्स फाउंडेशन्स द्वारा जारी किया गया । इस सूचकांक में सकल घरेलू उत्पाद तथा मानव विकास सूचकांक जैसे देशों के विकास संबंधी सुस्थापित सूचकांकों को चुनौती दी गयी है जो पोषणीयता को विचार में नहीं लेते हैं । विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद अनुपयुक्त दिखाई देता है क्योंकि अधिकांश लोगों का अंतिम लक्ष्य धनी होना नहीं बल्कि खुश और स्वस्थ रहना है । हैपी प्लैनेट इंडेक्स काफी हद तक उपयोगितावादी सिद्धांतों पर आधारित है कि अधिकांश लोग लंबे समय तक जीना और अपने जीवन को भरपूर बनाना चाहते हैं तथा वही देश सबसे अच्छा है जो अपने नागरिकों को ऐसा करने की अनुमति देता है तथा भावी पीढ़ियों के अवसरों को तथा अन्य देशों में अवसरों को बाधित नहीं करता । भावी पीढ़ियों के अवसरों पर अतिक्रमण तथा अन्य देशों के लोगों के अवसरों पर अतिक्रमण पारस्थितिकी प्रति व्यक्ति पदचिह्न का उपयोग करके प्रतिनिधित्व किया जाता है जो किसी देश की जीवन शैली को बनाये रखने के लिए अपेक्षित प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयास करता है । अधिक पारस्थितिकी पद चिह्नों वाला देश अपने संसाधनों से अधिक का उपयोग करता है । इसके लिए वह अन्य देशों से संसाधन आयात करता है तथा पृथ्वी को स्थायी क्षति पहुंचाने का कारण बनता है, जिससे भावी पीढ़ियां प्रभावित होंगी । हैपी प्लैनेट इंडेक्स किसी देश में कल्याण को समर्थन दने के पर्यावरण

संबंधी दक्षता के माप के रूप में लिया जा सकता है । प्रत्येक देश के हैपी प्लैनेट इंडेक्स का मूल्य इसके औसत विषय निष्ठ, जीवन संतोष, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा तथा प्रति व्यक्ति पारस्थितिकी पद चिह्न का फलन है । सटीक फलन जटिल है । लेकिन अवधारणागत रूप में यह जीवन संतोष तथा जीवन प्रत्याशा को गुणा करके तथा पारस्थितिकी पदचिह्न से भाग देकर प्राप्त किया जाता है ।

3.5 क्योटो प्रोटोकोल

3.5.1 जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के क्योटो प्रोटोकोल के द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सन्धि में संशोधन किया गया है । इस प्रोटोकोल के द्वारा हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों पर ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए अनिवार्य उत्सर्जन सीमाएं लगायी गयी हैं । इसका उद्देश्य है कि "वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के संकेन्द्रण को उस स्तर पर स्थिर किया जाए जो जलवायु प्रणाली के साथ मानवसमुदाय जनित खतरनाक हस्तक्षेप को रोक सकेगा" ।

3.5.2 दिसंबर 2006 की स्थिति के अनुसार कुल 169 देशों और अन्य सरकारी संस्थाओं ने सन्धि को औपचारिक मंजूरी दी है (जो अनुबंध 1 के देशों के उत्सर्जन के 61.6% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है) । इनमें उल्लेखनीय अपवादों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं । प्रोटोकोल को औपचारिक मंजूरी देनेवाले भारत और चीन जैसे अन्य देशों से वर्तमान करार के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कम करने की अपेक्षा नहीं की गयी है ।

3.5.3 क्योटो प्रोटोकोल में निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किये गये हैं -

- क्योटो सरकारों द्वारा समर्थित है तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बनाये गये वैश्विक विधान से शासित है ।
- सरकारों को दो सामान्य संवर्गों में बांटा गया है : विकसित देश, जिन्हें अनुबंध 1 देश कहा गया है (जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का दायित्व स्वीकार किया है और जिन्हें अनिवार्य रूप से वार्षिक ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री प्रस्तुत करनी है); तथा विकासशील देश, जिन्हें अनुबंध 1 से इतर देश कहा जाता है (जिन्हें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जो स्वच्छ विकास प्रणाली में भाग ले सकते हैं) ।
- यदि कोई अनुबंध 1 देश क्योटो बाध्यता पूरी करने में चूक करता है तो उसे दंड के रूप में पहली प्रतिबद्धता अवधि (अर्थात् 2008-09) के दौरान अपनी अधिकतम सीमा से अधिक ग्रीन हाउस गैस के प्रत्येक टन के उत्सर्जन के लिए दूसरी प्रतिबद्धता अवधि (जो 2012 के बाद आरंभ होगी) के दौरान 1.3 उत्सर्जन अनुमति वापस करनी होगी ।
- 2008-2012 तक अनुबंध 1देशों को अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अपने 1990 के स्तरों से औसतन 5% कम करना है (अनेक देशों के लिए, उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के देशों के लिए यह 2008 में उनके प्रत्याशित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से लगभग 15% नीचे होगा) । औसत उत्सर्जन कटौती 5% है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाएं अलग-अलग हैं । यूरोपीय संघ के लिए 8% कटौती है तो आइसलैंड के लिए 10% उत्सर्जन वृद्धि दी गयी है । चूंकि यूरोपीय संघ अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच कटौती की विभिन्न दरों

को बांटकर अपनी बाध्यता की पूर्ति करना चाहता है, अतः यूरोपीय संघ के कुछ कम विकसित देशों को उत्सर्जन में काफी वृद्धि (27% तक) की अनुमति दी गयी है । कटौती सीमाएं 2013 में समाप्त हो जाएंगी ।

- क्योटो के अंतर्गत 'लचीली प्रणाली' है, जो अनुबंध 1 अर्थ व्यवस्थाओं को यह अनुमति देती है कि वह अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सीमा की पूर्ति दूसरी जगह से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती की खरीद के द्वारा करे । इनकी खरीद या तो वित्तीय लेनदेन के द्वारा (उदाहरण के लिए क्योटो से असबंद्ध नई यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना) अथवा ऐसी परियोजनाओं के द्वारा की जा सकती है जो स्वच्छ विकास प्रणाली के अंतर्गत अनुबंध 1 से इतर अर्थ व्यवस्थाओं में तथा संयुक्त कार्यान्वयन के अंतर्गत अन्य अनुबंध 1 देशों में उत्सर्जन घटाती हैं ।

- केवल स्वच्छ विकास प्रणाली के कार्यपालक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीइआर) ही इस रूप में खरीदी और बेची जा सकती है । संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में क्योटो ने बॉन में अनुबंध 1 से इतर अर्थ व्यवस्थाओं में सीइआर देने के पहले परियोजनाओं (सीडीएम परियोजनाओं) का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिए स्वच्छ विकास प्रणाली कार्यपालक बोर्ड की स्थापना की ।

3.5.4 व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि अनुबंध 1 से इतर अर्थ व्यवस्थाओं में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यदि इन देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती की कोई परियोजना (सीएचजी परियोजना) लागू की जाती है तो उस सीएचजी परियोजना को कार्बन क्रेडिट मिलेगा जिसे अनुबंध 1 के क्रेताओं को बेचा जा सकता है ।

3.5.5 कार्बन ट्रेडिंग की चर्चा 4.4 में की गयी है ।

4. संबंधित नवीनतम पहल

इनसे जुड़ी हुई हाल में की गयी कुछ पहल नीचे वर्णित है ।

4.1 एफटी सस्टेनेबिल बैंकिंग पुरस्कार

एफटी सस्टेनेबिल बैंकिंग पुरस्कार फाइनेन्सियल टाइम्स ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग से वर्ष 2006 में स्थापित किया था । इसका प्रयोजन शेयरधारक के मूल्य में वृद्धि करते हुए सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और कंपनी सुशासन के उद्देश्यों को अपने परिचालनों में एकीकृत करने में बैंकों ने जो प्रगति की है उसे मान्यता देना है । लक्ष्य यह है कि जो पहल सफल हैं उन्हें रेखांकित किया जाए तथा निरंतरता की दिशा में हुई प्रगति को पुरस्कृत किया जाए । पुरस्कार का यह दूसरा वर्ष है तथा इसमें नवोदित बाजारों के बैंकों के लिए नये क्षेत्रीय पुरस्कार तथा कार्बन वित्त में उपलब्धि के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल है । पुरस्कार का उद्देश्य एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है ताकि सतत बैंकिंग में और नवोन्मेष हो सके, बैंकों की सतत विकास के प्रति दृष्टिकोण में सर्वोत्तम प्रथा और पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिले तथा इस क्षेत्र में बैंकों की क्या भूमिका होगी - इस पर वाद-विवाद आरंभ हो सके । पांच संवर्गों में पुरस्कार दिये जाते हैं - वर्ष का निर्वहनीय (सस्टेनेबिल) बैंक, वर्ष का नवोदित बाजारों का निर्वहनीय बैंक, वर्ष का निर्वहनीय बैंकर, वर्ष का निर्वहनीय कारोबार तथा वर्ष का निर्वहनीय ऊर्जा वित्त कारोबार ।

4.2 2050 में विश्व - प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा दी गयी रिपोर्ट - मार्च 2006

जोन हाक्सवर्थ (प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यूके फर्म के मैक्रो इकिनोमिक्स के प्रमुख) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट "2050 में विश्व - कार्बन उत्सर्जन की जागतिक वृद्धि का प्रमाण तथा जलवायु परिवर्तन नीति" में यह कहा गया है कि चीन और भारत जैसी नवोदित अर्थव्यवस्थाओं में तेज आर्थिक प्रगति तथा आज की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी निरंतर, अधिक मध्यम गति की वृद्धि का जागतिक ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन पर गंभीर दीर्घकालीन परिणाम हो सकता है । अनुमान यह दर्शाते हैं कि यदि देश इसे गंभीरता से न लेकर 'पहले की तरह कारोबार' का रवैया अपनाये रहते हैं तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि 2050 में जागतिक कार्बन उत्सर्जन आज से दुगने से भी अधिक हो सकता है। वर्तमान वैज्ञानिक सोच के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसका जागतिक तापन पर तथा उससे संबंधित जलवायु परिवर्तन पर गंभीर, दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। दूसरी ओर रिपोर्ट में "अधिक हरीतिमा वृद्धि" के जिस परिदृश्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है, उससे कार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण करते हुए निरंतर स्वस्थ वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में 'ई7' अर्थव्यवस्थाओं (चीन, भारत, ब्राजिल, रूस, इंडोनेशिया, मेक्सिको और तुर्की) की चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि जैसे जैसे उनके आकार में वृद्धि होती जाएगी वे वर्तमान जी 7 देशों (अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और कनाडा) से आगे निकल जाएंगी और नवोदित 'ई 7' अर्थव्यवस्थाएँ जागतिक वृद्धि की दिनोंदिन चालक बनती जाएंगी और 2050 तक जागतिक कार्बन उत्सर्जन का लगभग आधा भाग इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं से आ सकता है ।

4.3 पर्यावरण की दुर्दशा

आधुनिक भारत के उत्थान पर लिखी गई 'इन स्पाइट ऑफ गॉड्स' शीर्षक पुस्तक के लेखक एडवार्ड ल्यूस ने कहा है कि पर्यावरण की व्यापक दुर्दशा भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। लेखक कहता है कि यद्यपि जागतिक कार्बन-डायऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का अंश 4 प्रतिशत है, तथापि जागतिक ताप वृद्धि में उसके दायित्व के अंश में तेज वृद्धि होगी। भारत में अर्थव्यवस्था में जैसे-जैसे प्रगति हो रही है, हवा और पानी की गुणवत्ता में उतनी ही तेज गिरावट हो रही है (लागत के रूप में उसकी गणना किये बिना)। लेखक का विचार है कि भारत को अपने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक सुसंगत रणनीति विकसित करनी चाहिए।

4.4 कार्बन व्यापार

4.4.1 जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता के संबंध में बढ़ती जागृति और चिंता के बीच क्योटो प्रोटोकोल के रूप में विख्यात अंतरराष्ट्रीय समझौते के एक अंग के रूप में कार्बन क्रेडिट की धारणा प्रचलित हुई। यह एक स्वैच्छिक संधि है जिस पर दिसंबर 1997 में यूरोपीय संघ, जापान और कनाडा सहित अधिकांश देशों (अमेरिका और आस्ट्रेलिया को छोड़कर) ने 2008-12 के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2 प्रतिशत कम करने के लिए हस्ताक्षर किये हैं। क्योटो प्रोटोकोल का उद्देश्य विश्व भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रों के समक्ष लक्ष्य रखकर जागतिक ताप वृद्धि की समस्या का सामना करना है। ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष कार्बन व्यापार बढ़कर कम से कम 60 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा । इस योजना में विकसित राष्ट्र के प्रदूषकों को विकासशील देशों की उत्सर्जन कटौती का निधीयन करने की अनुमति दी गयी है, जो विकसित देशों में उत्सर्जन कटौती की तुलना में सस्ता है।

4.4.2 क्योटो प्रोटोकोल में तीन नयी व्यवस्थाएँ है जो देशों को या विकसित देशों में परिचालकों को ग्रीन हाउस गैस कटौती क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।

क्योटो प्रोटोकोल के अंतर्गत तीन लचीली व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं :

i) **संयुक्त कार्यान्वियन** - कोई विकसित देश जिसमें देशी ग्रीन हाउस गैस की कटौती की लागत काफी ऊँची है किसी दूसरे विकसित देश में एक परियोजना स्थापित कर सकता है। संयुक्त कार्यान्वयन की परियोजनाएँ मेजबान देश में उत्सर्जन में कटौती करती हैं तथा उनकी कुल मात्रा के एक अंश को मुक्त करती हैं जिन्हें उत्सर्जन कटौती यूनिट (ईआरयू) के रूप में निवेशक देश में अंतरित किया जा सकता है। ईआरयू को मेजबान देश के अनुमत उत्सर्जन से घटाया जाता है और निवेशक देश के कुल अनुमत उत्सर्जन में जोड़ा जाता है। किसी परियोजना द्वारा उत्पन्न ईआरयू किसी बाह्य संस्था द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

ii) **स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम)** - कोई विकसित देश किसी विकासशील देश में कोई ग्रीन हाउस गैस कटौती संबंधी परियोजना प्रायोजित कर सकती है। सीडीएम की रचना मेजबान देश की सतत विकास की आवश्यकता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की गयी है। परियोजना अभिकल्पना प्रलेख राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकारी के पास वैधीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मेजबान देश में पंजीकृत किया जाता है। सीडीएम कार्यपालक बोर्ड के सत्यापन के बाद प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)* जारी की जाती है। नामित परिचालनात्मक सत्ता (डीओई) आवधिक रूप से (वर्ष में एक बार) यह जाँच करती है कि उत्सर्जन कटौती सचमुच हुई है।

* सीईआर यूनिट एक टन CO_2 के बराबर है

iii) **अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार/कार्बन व्यापार (आइईटी)**

आइईटी के अंतर्गत देश अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाज़ार में व्यापार कर सकते हैं ताकि उत्सर्जन अनुमति में हुई कमी को कवर कर सकें। अधिशेष क्रेडिट वाले देश उन देशों को क्रेडिट बेच सकते हैं, जिन्हें क्योटो प्रोटोकोल के अंतर्गत मात्रात्मक उत्सर्जन सीमा और कटौती प्रतिबद्धताओं का पालन करना है।

4.4.3 कार्बन व्यापार की प्रणाली

कार्बन व्यापार के पीछे जो विचार है वह बाजार में प्रतिभूतियों या पण्यों के व्यापार जैसा ही है। कार्बन को एक आर्थिक मूल्य दिया जा रहा है, जिसमें लोग, कंपनियाँ और राष्ट्र व्यापार कर सकते हैं। यदि कोई राष्ट्र कार्बन खरीदता है, तो वह उसे जलाने का अधिकार खरीदता है तथा कार्बन बेचने वाला राष्ट्र उसे जलाने का अधिकार छोड़ता है। कार्बन का मूल्य कार्बन के स्वामी देश की उसके भंडारण करने और उसे वातावरण में निर्गत करने से रोकने की क्षमता पर आधारित होगा। एक बाजार बनाया जाएगा जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का अधिकार खरीद बेचा जाएगा। औद्योगिकीकृत राष्ट्र, जहाँ उत्सर्जन कम करना अत्यधिक कठिन कार्य है, किसी दूसरे राष्ट्र से उत्सर्जन अधिकार खरीद सकते हैं जिनके उद्योग ऐसी गैसें अधिक मात्रा में पैदा नहीं करते। कार्बन के लिए बाजार संभव है क्योंकि क्योटो प्रोटोकोल का उद्देश्य एक सामूहिक अंतराराष्ट्रीय प्रयास के रूप में उत्सर्जन घटाना है।

4.4.4 कार्बन बाज़ार

कार्बन क्रेडिट की खरीद -बिक्री यूके में सीओ 2 ई एक्सचेंज, यूरोप में सीडीएम एक्सचेंज और शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज में होती है। शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज ने भारत में प्रदूषण में पण्य के रूप में व्यापार करने के लिए भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ लाइसेंस करार किया है। अधिकांश व्यापारियों के लिए कार्बन खरीदने के लिए कोई मानक संविदा नहीं है, क्योंकि कार्बन का मूल्य जान पाना आसान नहीं है। उत्सर्जन कटौती सौदों में सरल जाहिर खरीद और बिक्री से लेकर स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन और प्रत्यक्ष निवेश शामिल हैं। कार्बन की कीमत बैंक गारंटी के आधार पर 6-12 यूरो प्रति टन CO_2 है।

4.4.5 कार्बन क्रेडिट की मांग

ऐसी आशा की जाती है कि कार्बन क्रेडिट की मांग निम्नलिखित कारणों से बढ़ेगी -

i) विकसित देशों में अनुमानित कमी तथा उच्चतर सापेक्षिक कटौती लागत के कारण विकासशील देश से कार्बन क्रेडिट खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योकि वहां लागत कम है।

ii) ई यू उत्सर्जन संधि योजना का अनुपालन करने के लिए यूरोपीय कंपनियों को कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा।

iii) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी)उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं के वित्तपोषक के रूप में कार्य करता है। ईबीआरडी की स्थिति ऐसी है कि वह कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। यह शेयरधारकों से निधियों की व्यवस्था कर सकती है अथवा सीडीएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दाताओं से निधि जुटा सकती है।

iv) विश्व बैंक 2012 के बाद उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन की कटौती की खरीद करने की घोषणा करने में आगे है।

4.4.6 भारतीय परिदृश्य

भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकल स्वीकार किया। भारत जागतिक कार्बन व्यापार से अधिकतम लाभ कमाने की स्थिति है। अनुमानों के अनुसार भारत सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होगा, जिसका दुनिया के कुल कार्बन व्यापार में 31 प्रतिशत हिस्सा होगा और जो कुछ वर्षो में 5-10 बिलियन डालर कमा सकता है। एक विकासशील देश होने के कारण भारत क्योटो प्रोटोकोल के अनुपालन की अपेक्षा से मुक्त है। परंतु, यह विकसित देशों को कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ विकास प्रणाली प्राधिकारी के पास अनुमदनार्थ परियोजनाएँ आती हैं। फरवरी 2007 तक राष्ट्रीय स्वच्छ विकास प्रणाली प्राधिकारी ने बायोमास आधारित को जेनेरेशन, ऊर्जा, नगरपालिका ठोस कचरा, हवा, लघु हाइड्रो परियोजनाओं जैसी पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा, आदि के क्षेत्र में 526 परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। ये परियोजनाएँ 2012 तक 357 मिलियन सीईआर उत्पन्न करेंगी, यदि ये सभी योजनाएँ सीडीएम कार्यपालक बोर्ड के साथ पंजीकृत की जाती है। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों में जागृति पैदा करने तथा इस संबंध में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की है। आरम्भ में पाँच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र को अपनी सीडीएम सुविधा स्थापित करने के लिए आरम्भिक निधि उपलब्ध करायी गयी है। अधिकांश कार्बन क्रेडिट परामर्शयदाता, जिनमें अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाता शामिल हैं, भारत में आने की योजना बना रहे हैं।

5. कार्य योजना

5.1 आज परियोजना की व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए पर्यावरण और समाज संबंधी चिंताओं पर विचार करना आवश्यक हो गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना पर्यावरण और समाज की दृष्टि से सुदृढ़ और टिकाऊ है उसके पर्यावरण और समाज संबंधी परिणामों को ध्यान में रखना होगा। पूरे विश्व में अग्रणी कंपनियां पर्यावरण प्रबंध, श्रमिक संबंध और सामाजिक दायित्व जैसे मुद्दों से संबंधित वित्तीय और गैर-वित्तीय संकेतकों की माप कर और उसकी सूचना देकर हितधारकों का विश्वास जीत रही हैं और साथ ही अपने कारोबार निष्पादन में सुधार कर रही हैं ।

5.2 वित्तीय क्षेत्र में भी पर्यावरण और समाज की दृष्टि से दायित्वपूर्ण ऋण देने और नवोदित बाजारों में निवेश करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । पारंपरिक बैंकिंग की पृष्ठभूमि से निकलते हुए बैंक इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि उन्हें एक सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करनी है । नयी बाजार वास्तविकताओं से ही उत्तरदायी बैंकिंग का नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है ।

5.3 बैंकिंग और वित्त का पर्यावरण और समाज पर तात्कालिक प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि अधिकांश प्रभाव अन्य कारोबार के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जो वित्तीय संस्थाओं पर ऋण और निवेश संविभाग के कारोबार पर निर्भर करते हैं । तथापि, पर्यावरण और समाज पर अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष प्रभाव के बावजूद यह आवश्यक है कि बैंक अपने ऋण और निवेश संबंधी निर्णयों के प्रभावों की जांच करे ।

5.4 सभी कारोबारी गतिविधियों का पर्यावरण और समाज पर कुछ प्रभाव पड़ता है, जो मुख्यतया पर्यावरण और समाज संबंधी स्तरहीन प्रथाओं के अनुसरण से उत्पन्न होता है । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग और बरबादी
- निरंतर प्रदूषक गतिविधियों के कारण पर्यावरण को क्षति
- अतीत की प्रदूषक प्रथाओं के कारण लगातार क्षति
- दुर्घटनाओं के कारण क्षति
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील सामग्री का उपयोग

5.5 इन सब प्रभावों का कारोबार पर भी प्रभाव पड़ता है । ये प्रभाव कानूनी, वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं और बैंक दिनोंदिन अपने संविभागों के पर्यावरण और समाज संबंधी प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराये जा रहे हैं । पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की परवाह किये बिना परिचालन करनेवाले कारोबार को निम्नलिखित लागत उठानी पड़ सकती है -

- प्रदूषण को साफ करने की लागत
- जुर्माना
- कचरा निपटान की अधिक लागत
- क्षतिग्रस्त आस्तियों के कम मूल्य हो जाने के कारण लागम
- कानूनी दावे

- विनियामक विलंब
- जनता में कम सम्मान, कम बिक्री

जो जोखिम वित्तीय संस्थाओं को अंतरित हो जाते हैं, वे हैं -

- ऋण चुकौती में बढ़ती चूक
- निवेश का कम मूल्य तथा कम आस्ति मूल्य के कारण संपार्श्विक की हानि
- गैर-जिम्मेदार निवेश सलाह के कारण हर्जाना देने की देयता
- प्रदूषक कारोबार से जुड़ने के कारण प्रतिष्ठा की हानि

5.6 कारोबार संबंधी निर्णय-निर्धारण में पर्यावरण और समाज संबंधी मानदंडों को शामिल करने से परिचालनात्मक गतिविधियों का प्रभाव घटाया जा सकता है । अतः, जो वित्तीय संस्थाएं ऋण और निवेश में पर्यावरण और समाज संबंधी मुद्दों को शामिल करते हुए कार्यनीति लागू करती हैं वे अपने वित्तपोषण और निवेश से जुड़े जोखिमों का बेहतर मूल्यांकन कर सकेंगी, उसे कम कर सकेंगी, उसे प्रलेखित कर सकेंगी तथा उसकी निगरानी कर सकेंगी । विकास की निरंतरता का दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार की कार्यनीति लागू कर सकेंगी। बैंकिंग क्षेत्र का इस दृष्टि से विशैष महत्व है क्योंकि यह क्षेत्र अनेक परियोजनाओं और उससे उत्पन्न विकास प्रवृत्तियों को प्रभावित करने में समर्थ है ।

5.7 निरंतर विकास उपलब्ध करने के लिए किये जा रहे प्रयासों में सहायता करने के लिए बैंक काफी कुछ कर सकते हैं । दिन-अनुदिन के परिचालनों को अधिक स्वच्छ, अधिक कुशल और सामाजिक संरचना का समर्थक बनाने के लिए किए गए आंतरिक प्रयास इसमें सहायता कर सकते हैं। कार्यनीति संबंधी परिचालनों में पर्यावरण और समाज संबंधी मुद्दों को समन्वित करना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं न केवल यह सुनिश्चित करती हैं कि आंतरिक गतिविधि टिकाऊ हैं, बल्कि वित्तपोषण को अधिक टिकाऊ बनाने में भी सहायता मिलती है । निर्वहनीय वित्तपोषण में परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के पर्यावरण और समाज संबंधी परिणामों को महत्व दिया जाता है, न कि केवल आर्थिक प्रभाव को। इसके अंतर्गत वित्तीय विश्लेषण में पर्यावरण और समाज संबंधी मूल्यांकन को शामिल किया जा सकता है अथवा पर्यावरण और समाज संबंधी स्पष्ट लक्ष्य रखते हुए उत्पाद बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए टिकाऊ और उत्तरदायी निवेश (एसआरआई) निधि। एसआरआई (सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी निवेश) एक ऐसी निवेश रणनीति है जिसमें ऐसे निवेश लक्ष्यों की पहचान की जाती है जो निवल पर्यावरणात्मक और सामाजिक लाभ तथा वित्तीय वृद्धि देते हैं।

5.8 प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, बैंकों को अपनी कारोबारी नीति में कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और निरंतरता की धारणाओं को एकीकृत करना होगा । ऐसा निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है :

1. *निरंतरता के प्रति प्रतिबद्धता*

बैंकों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने की प्राथमिकता वाले दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर सामाजिक और पर्यावरण संबंधी निरंतरता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

2. *"हानि नहीं पहुंचाने" की प्रतिबद्धता*

बैंकों को अपने संविभाग और उनके परिचालनों के पर्यावरण और/या सामाज पर पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभावों का निवारण कर या उसे कम-से-कम रखकर 'हानि नहीं पहुंचाने' के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए ।

3. *उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता*

बैंकों को अपने लेनदेन के वातावरण और समाज पर पड़नेवाली प्रभावों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ।

4. *जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता*

बैंकों को अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, खास कर उनके प्रति जो बैंकों द्वारा वित्तपोषित कंपनियों की गतिविधियों और उनके 'साइड एफेक्ट्स' से प्रभावित हैं ।

5. *पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता*

बैंकों को अपने हितधारकों के प्रति पारदर्शी होना चाहिए, न केवल सुदृढ़, मानक और नियमित प्रकटीकरण के माध्यम से बल्कि बैंक की नीतियों, प्रक्रियाओं और लेनदेन के संबंध में विशेषीकृत जानकारी संबंधी हितधारकों की आवश्यकताओं के प्रति भी सचेत रहकर ।

5.9 बैंक प्रकटीकरण में पारदर्शिता लागू करने के लिए निरंतरता रिपोर्टिंग अपना सकते हैं, जो किसी संगठन के आर्थिक, पर्यावरणात्मक और सामाजिक कार्य निष्पादन के सार्वजनिक प्रकटीकरण की प्रक्रिया है। निरंतरता रिपोर्टिंग के माध्यम से बैंक न केवल आर्थिक उपलब्धियों के लिए बल्कि पर्यावरण रक्षा और सामाजिक कल्याण के कार्य-निष्पादन लक्ष्यों की तुलना में की गई प्रगति की रिपोर्ट कर सकते हैं। जागतिक सूचना पहल (जीआरआई) एक दीर्घकालिक, बहु हितधारक, अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में उपयोग के लायक निरंतरता सूचना दिशानिर्देश तैयार करना है ।

5.10 उत्तरदायी बैंकिंग के नये दर्शन पर ज्यों-ज्यों ध्यान केंद्रित होगा, बैंक अपनी कारोबारी कार्यनीति के साथ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और निरंतर विकास और निरंतरता रिपोर्टिंग के सिद्धांतों को समन्वित करते हुए पर्यावरण, समाज और नैतिकता संबंधी परिणामों को प्रभावित करते हुए आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं ।

अनुबंध I

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - वित्तीय पहल (यूएनईपीएफआइ)

पृष्ठभूमि

मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम, 1972) ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रणाली की पर्यावरण विषयी सजगता के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) स्थापित किया। प्रारंभ से ही यूएनईपी को पर्यावरण की सुरक्षा के अनुरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य मिला है। यूएनईपी की इस भूमिका को यूएन कॉन्फेरेंस ऑन एन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (द अर्थ समिट) (रियो डि जनेरो, 1992) में काफी बढ़ावा मिला। इस कॉन्फेरेंस में निरंतर विकास का समर्थन करने पर बहुत ज्यादा ज़ोर दिया गया। निरंतर विकास का अर्थ ऐसा विकास जो अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने की भावी पीढ़ियों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है"। यूएनईपी ने पर्यावरण प्रबंधन नीतियों को विकसित करने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम किया है और 1990 के दशक के प्रारंभ से वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में प्रगति उन्मुख संगठनों के साथ काम करना शुरू किया है।

यूएनईपी का मानना था कि अपने कारोबारों की सुदृढ़ता तथा लाभप्रदता को बनाए रखते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वित्तीय क्षेत्र का अमूल्य योगदान होगा ।

यूएनईपी वित्तीय पहल का प्रारंभ

यूएनईपी वित्तीय पहल की संकल्पना 1991 में आरम्भ की गयी जब डॉयच बैंक, एचएसबीसी होल्डिंग्ज़, नेटवेस्ट, रॉयल बैंक ऑफ कॅनडा तथा वेस्टपॅक सहित वाणिज्य बैंकों का एक छोटा समूह पर्यावरण संबंधी मुद्दे के बारे में बैंकिंग उद्योग की जागरुकता को बढ़ाने के लिए यूएनईपी के साथ मिल कर कार्य करने के लिए तैयार हुआ। 1992 में आयोजित होने वाली रियो समिट की पूर्व तैयारी के रूप में मई 1992 में पर्यावरण तथा निरंतर विकास पर बैंकों का यूएनईपी वक्तव्य न्यूयॉर्क में प्रारंभ किया गया और बैंकिंग पहल का सृजन हुआ।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में परिचालित इस पहल ने वित्तीय संस्थाओं की विस्तृत श्रेणियों के बीच जिनमें वाणिज्य बैंक, निवेश बैंक, उद्यम पूंजीपति, आस्ति प्रबंधकों तथा बहु पक्षीय विकास बैंक तथा एजेंसियां शामिल हैं, आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा तथा दीर्घकालीन विकास के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक रचनात्मक संवाद स्थापित किया। इस पहल ने वित्तीय क्षेत्र के परिचालनों तथा सेवाओं के सभी पहलुओं में पर्यावरण संबंधी विचारों को शामिल करने को बढ़ावा दिया। पहल का एक और उद्देश्य था कि पर्यावरण के संबंध में स्वस्थ तथा सुदृढ़ प्रौद्योगिकियों तथा सेवाओं में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा दिया जाए ।

बीमाकर्ताओं तथा पुनर्बीमाकर्ताओं का सहयोग

1995 में यूएनईपी ने जनरल ऍक्सिडेंट, जर्लिंग ग्लोबल रे, नेशनल प्रॉविडेंट, स्टोरब्राण्ड, सुमिटोमो मरीन एंड फायर, स्विस रे सहित अग्रणी बीमा तथा पुनर्बीमा कंपनियों के समूह तथा पेंशन फंडों के साथ मिलकर बीमा उद्योग द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धता का यूएनईपी वक्तव्य जारी किया। इस स्वैच्छिक प्रतिबद्धता में, हस्ताक्षर करनेवाली कंपनियां यह वचन देती हैं कि वे आर्थिक विकास, लोगों के कल्याण तथा एक स्वस्थ पर्यावरण के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगी। यह वक्तव्य निरंतर विकास सिद्धांत तथा एहतियाती सिद्धांत को ध्यान में रखता है । इस वक्तव्य में बीमाकर्ताओं से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने आंतरिक तथा बाहरी कारोबार संबंधी कार्यकलापों में पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखें।

1997 में अनुसंधान कार्यों को निधि उपलब्ध कराने के लिए तथा जागरूकता बैठक तथा कार्यशालाएं और पहल की वार्षिक नियमित बैठकें प्रायोजित करने के लिए बीमा उद्योग पहल (आइआइआइ) का गठन किया गया ।

पहल को सुदृढ़ करना

उसी वर्ष पर्यावरण तथा दीर्घकालीन विकास पर बैंकों के यूएनईपी वक्तव्य को एक नया रूप दिया गया ताकि व्यापक वित्तीय सेवाएं क्षेत्र के लिए उसे और आकर्षक बनाया जाए। इस स्तर पर बैंकिंग पहल का नाम बदलकर फिनॅन्शियल इंस्टिट्यूशन्स इनिशिएटिव (एफआइआइ) किया गया ।

1999 से वित्तीय संस्था पहल (एफआइआइ) तथा बीमा उद्योग पहल (आइआइआइ) दोनों परस्पर रुचि/हित के मामलों पर और अधिक आपस में मिलके काम करने लगे और यूएनईपी एफआइ के मुख्य कार्यदल तैयार हुए -जलवायु परिवर्तन कार्यदल, आस्ति प्रबंध कार्यदल तथा जलवायु प्रबंध और रिपोर्टिंग कार्यदल ।

फ्रॅंकफर्ट में आयोजित पहल यूएनईपी एफआइ ग्लोबल राऊंडटेबल (2000) को एफआइआइ तथा आइआइआइ ने सह-संयोजित किया था ।

यूएनईपी वित्तीय पहलों का विलयन

वार्षिक सामान्य बैठक (जिनिवा) 2000 में यूएनईपी वित्तीय संस्था पहल (आइआइआइ) तथा यूएनईपी बीमा उद्योग पहल (आइआइआइ) विलयन के लिए तैयार हो गए और उससे वित्तीय पहल नाम का एक ही पहल बन गया । पिछले कई वर्षों से दोनों समूह पहल के कार्य संबंधी कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं और यह औपचारिक विलयन इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है और इससे सचिवालय तथा संचालन समिति सभी हस्ताक्षर करनेवाली संस्थाओं के लिए एक मूल्य वर्धित एकीकृत कार्य संबंधी कार्यक्रम विकसित कर सकेगी ।

इस पहल के कार्यों को यूएनईपी की गवर्निंग काउंसिल, दी कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तथा युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे विभिन्न पर्यावरण संबंधी सम्मेलनों के माध्यम से सरकारी मान्यता मिलती रही है ।

यूएनईपी वित्तीय पहल में वर्तमान में 44 देशों से 160 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता संस्थाएं हैं ।

अनुबंध II

जागतिक सूचना पहल
(ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव)

ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआइ) एक दीर्घ-कालीन, बहु-हितधारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य है वैश्विक रूप से लागू होने वाले सस्टेनबिलिटी रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश विकसित करना और उनका प्रसार करना।

जीआरआइ का दायित्व किस पर है ?

1997 से 2002 के वसंत तक जीआरआइ, सीईआरईएस तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की परियोजना थी, अब जीआरआइ एक स्थायी, स्वतंत्र संगठन है जिसका प्रतिष्ठित निदेशक बोर्ड है और एम्स्टरडॅम, नेदरलैण्ड्स, में वैश्विक मुख्यालय है। बोर्ड के पास जीआरआइ का न्यासी, वित्तीय, विधिक तथा समग्र कार्यनीतिगत दायित्व है। नीति (हितधारी स्टेकहोल्डर काउंसिल) तथा तकनीकी मामलों (तकनीकी सलाहकार काउंसिल) पर व्यापक रूप से प्रातिनिधिक सलाहकार समूह यह सुनिश्चित करते हैं कि जीआरआइ के समावेशन तथा पारदर्शिता के मुख्य मूल्य बने रहते हैं। संगठनात्मक हितधारी जीआरआइ के लक्ष्य का समर्थन करते हैं, वार्षिक बजट में योगदान देते हैं और हितधारी काउंसिल का चुनाव करते हैं। सचिवालय बोर्ड की योजनाओं तथा सलाहकार समूहों के कार्य का समन्वयन तथा कार्यान्वयन करता है।

संगठनात्मक हितधारी क्या हैं?

जीआरआइ की शासकीय संरचना में संगठनात्मक हितधारी - जिनमें किसी भी प्रकार, आकार तथा स्थान के संगठन शामिल हैं - एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यवसाय, सिविल सोसाइटी एडवॉकेसी संगठन, श्रमिक तथा मध्यस्थता करने वाली संस्थाएँ (उदा. फाउंडेशन्स, सरकारें) हितधारी काउंसिल का चयन करती हैं, जो जीआरआइ का निदेशक बोर्ड नियुक्त करता है। संगठनात्मक हितधारी जीआरआइ के लक्ष्य का समर्थन करते हैं और वार्षिक बजट में योगदान भी देते हैं।

जीआरआइ में कौन सहभागी होता है?

जीआरआइ उन सभी व्यक्तियों तथा संगठनों के लिए खुला है जिन्हें निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग करने में रुचि है । 80 देशों से अधिक देशों में से निगमों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, कन्सल्टंसिज़, लेखा विधि संगठनों, व्यवसाय संघों, रेटिंग करने वाले संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं में से 5000 से अधिक व्यक्ति जीआरआइ के नेटवर्क में हैं। वे दिशानिर्देश तथा संबंधित सामग्री के निरंतर विकास में अपना योगदान देते हैं।

निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग क्या है?

किसी संगठन के आर्थिक, पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक कार्यनिष्पादन को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया को निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग कहा जाता है। अब ज्यादातर कंपनियों को ऐसा लगता है कि केवल वित्तीय रिपोर्टिंग से शेयरधारकों, ग्राहकों, समुदायों तथा अन्य हितधारियों की समग्र संगठनात्मक कार्यनिष्पादन संबंध जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग के माध्यम से संगठन न केवल आर्थिक उपलब्धियों संबंधी कार्यनिष्पादन लक्ष्यों से संबंधित विकास की रिपोर्ट करते हैं बल्कि पर्यावरण सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण के बारे में भी रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग निरंतर अभिशासन को प्रेरित करती है जिसमें संगठन वैश्वीकरण, आय असमानता तथा पर्यावरण संबंधी सुदृढ़ता जैसे मामले को शीर्ष-स्तरीय निर्णय प्रक्रिया में शामिल करते हैं।

रिपोर्टिंग के लाभ क्या हैं?

रिपोर्ट तैयार करनेवालों तथा रिपोर्ट पढ़नेवालों, दोनों के लिए बहु-विध लाभ हैं। रिपोर्टिंग संगठनों के लिए ये दिशानिर्देश प्रबंधन, वर्धित तुलनीयता तथा निरंतरता की घटी लागत, ब्रांड तथा प्रतिष्ठा वर्धन, बाजार में विशिष्ट स्थान, आपूर्तिकर्ताओं अथवा प्रतियोगियों के कार्यों के परिणामस्वरूप ब्रांड की प्रतिष्ठा में होने वाली हानि से संरक्षण, नेटवर्किंग तथा संप्रेषणों के लिए एक साधन प्रदान करते हैं। रिपोर्ट पढ़नेवालों के लिए ये दिशानिर्देश एक उपयोगी बेंचमार्किंग साधन, कार्पोरेट अभिशासन का साधन तथा रिपोर्ट करने वाले संगठनों के साथ दीर्घकालीन संवाद का अवसर होते हैं।

निरंतरता रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश क्यों आवश्यक हैं?

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनियां साधारणतः स्वीकृत रिपोर्टिंग ढांचे का उपयोग करती हैं। उस तरह के ढांचे के अभाव में निरंतरता संबंधी रिपोर्टों में वे विशेषताएँ नहीं आयी हैं जो उन्हें व्यापक तौर पर उपयोगी बना सकें । ये विशेषताएँ हैं विश्वसनीयता, सुसंगति तथा तुलनीयता। अब तक 2000 से अधिक कंपनियों ने पर्यावरण संबंधी, समाजिक अथवा निरंतरता संबंधी रिपोर्ट स्वेच्छा से प्रकाशित किये हैं । तथापि ये तुलनीय नहीं है तथा हितधाारी के हित के संपूर्ण परिदृश्य को संबोधित करने में असफल हो सकते हैं। एक सामान्य रूप से स्वीकृत ढांचे को अपनाने से रिपोर्ट तैयार करने तथा उसका मूल्यांकन करने में सरलता होगी, जिससे रिपोर्ट करनेवालों तथा रिपोर्ट के उपयोगकर्ताओं दोनों को निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग से अधिक लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। दिशानिर्देश तथा अन्य जीआरआइ दस्तावेजों को विकसित करने की लागत बहुविध उपयोगकार्ताओं के बीच बांटी जाती है और इसलिए रिपोर्ट करने वालों के लिए लेनदेन की समग्र लागत 'अपनी कंपनी' अथवा 'अपना क्षेत्र' रिपोर्टिंग ढांचे को विकसित करने में लगने वाली संभाव्य लागतों से बहुत कम है।

क्या दिशानिर्देश आचार संहिता है?

जीआरआइ दिशानिर्देश न तो आचार संहिता है और न ही सिद्धांत हैं। तथापि ऐसी संहिताओं तथा सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए जीआरआइ का उपयोग किया जा सकता है। ये दिशानिर्देश कार्यनिष्पादन के स्तर निर्धारित नहीं करते हैं तथा इसलिए उन्हें कार्यनिष्पादन मानक के रूप में समझा नहीं जाना चाहिए।

जीआरआइ दिशानिर्देशों के आधार पर किसने रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं ?

सार्वजनिक प्राधिकरण तथा लाभ न कमाने वाले संगठनों के अलावा अन्य क्षेत्रों में से वाहन, उपयोगिता, उपभोक्ता वस्तुएं, औषधीय, वित्तीय, दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा तथा रसायनिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों ने ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जो दिशानिर्देशों को अंशतः अथवा पूर्णतः अपनाती हैं।

रिपोर्टिंग के लिए किसे इन दिशानिर्देशों का उपयोग करना चाहिए ?

किसी भी स्थान में कार्य करने वाले सभी आकार तथा प्रकार के संगठनों को इन दिशानिर्देशों का उपयोग करना चाहिए। मुख्य दिशानिर्देश किसी एकल उद्योग क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। ये दिशानिर्देश मुख्यतः व्यवसायिक संगठनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए थे लेकिन अन्य प्रकार के संगठन जैसे सरकारी एजेंसियां तथा लाभ न लेने वाले संगठन भी दिशानिर्देशों का उपयोग कर सकते हैं।

निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग के सिद्धांत क्या हैं?

जीआरआइ, रिपोर्टिंग सिद्धांतों को रिपोर्टिंग ढांचे का एक अभिन्न अंश मानते हैं। ये सिद्धांत इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि रिपोर्ट करने वाले तथा रिपोर्ट का उपयोग करनेवाले जीआरआइ आधारित रिपोर्ट के आधार को एक समान समझते हैं। निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग के 11 सिद्धांत (दिशानिर्देशों में उल्लिखित) इस बात को सुनिश्चित करने में सहायता देते हैं कि रिपोर्ट विभिन्न समय में तथा विभिन्न संगठनों के बीच तुलनीय हो और हितधारियों की चिंताओं को विश्वसनीयता से संबोधित किया गया हो ।

- **पारदर्शिता, समावेशन** तथा **लेखा परीक्षा योग्यता** के सिद्धांत रिपोर्ट का बुनियादी ढाँचा है।
- **संपूर्णता, सार्थकता** तथा **निरंतरता के सिद्धांत** क्या रिपोर्ट करना है के संबंध में निर्णय लेने से संबंधित हैं।
- **यथार्थता, तटस्थता** तथा **तुलनीयता** के सिद्धांत रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के संबंध में हैं।
- अंततः, **सुस्पष्टता** तथा **समयोचितता** के सिद्धांत रिपोर्ट तक पहुंच से संबंधित निर्णय के संबंध में हैं।

क्या "अनुकूल" रिपोर्टिंग के लिए सीईओ अथवा बोर्ड का वक्तव्य अनिवार्य है?

हां । रिपोर्ट एक संतुलित तथा उचित प्रस्तुतीकरण का प्रतिनिधित्व करती है । इस आशय का समर्थन करनेवाले उच्च-स्तरीय वक्तव्य को शामिल करना निरंतरता संबंधी मामलों की जबाबदेही को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इससे पाठकों को ये संप्रेषित होता है कि संगठन निरंतरता संबंधी रिपोर्टिंग को एक गंभीर कार्य समझता है।

क्या ये दिशानिर्देश किसी कंपनी का मूल्य पता करने में सहायक होते हैं ?

किसी कंपनी का सच्चा मूल्य हर बार उसकी वित्तीय रिपोर्ट में निहित नहीं होता है। सार्थक बाजार मूल्य प्रतिष्ठा, नए परिवर्तन लाने की क्षमता तथा सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता जैसी अमूर्त आस्तियों से मिलता है। जीआरआइ दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई निरंतरता संबंधी रिपोर्ट से कंपनी के मूल्य के उन विभिन्न घटकों को पहचानने में सहायता होगी जो केवल उसके वित्तीय कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते समय हर बार प्रकट नहीं होते हैं।

रिपोर्ट कैसे करना है, क्या दिशानिर्देश इससे संबंधित सुझाव देते हैं ?

दिशानिर्देश रिपोर्ट तैयार करने के लिए पद्धतियां प्रस्तावित नहीं करते हैं - वे क्या रिपोर्ट करना है, इस पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं। दिशानिर्देशों में जीआरआइ रिपोर्टिंग ढांचे के भीतर किसी रिपोर्ट को ढालने के लिए सुझाव निहित हैं।

अनुबंध III

इक्वेटर सिद्धांत

इक्वेटर सिद्धांत के अनुसार समर्थक बैंक केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में परियोजनाओं को सीधे ऋण प्रदान करेंगे :

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के पर्यावरण तथा सामाजिक परीक्षण संबंधी मानदंडों पर आधारित आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना का जोखिम वर्गीकृत किया गया हो।
- सभी मध्यम अथवा उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं (श्रेणी ए तथा बी परियोजनाएं) के लिए प्रायोजकों ने एक पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन पूर्ण किया हो और जिसे तैयार करते समय कुछ अपेक्षाओं को पूर्ण किया गया हो और जिसमें मुख्य पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों को संतोषजनक रीति से संबोधित किया गया हो।
- पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट में आधारभूत पर्यावरण तथा सामाजिक परिस्थितियों, मेजबान देश के कानून तथा विनियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं, प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों, निरंतर विकास तथा नवीकरणीय नैसर्गिक संसाधनों के प्रयोग, मानवी स्वास्थ्य, सांस्कृतिक संपत्तियों तथा जैविक विविधता जिसमें संकटापन्न जातियां तथा संवेदनशील इकोसिस्टम शामिल है का संरक्षण, खतरनाक पदार्थों के प्रयोग, मुख्य संकट, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, आग निवारण/रोक थाम तथा जीवन सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, भूमि अर्जन तथा भूमि उपयोग, अनैच्छिक पुनर्वास, देशज लोगों तथा समुदायों पर प्रभाव, विद्यमान परियोजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं तथा प्रत्याशित भावी परियोजनाओं के संचयी प्रभाव, प्रभावित पार्टियों का परियोजना के डिज़ाइन, समीक्षा तथा कार्यान्वयन में सहभाग, पर्यावरण तथा सामाजिक दृष्टि से अधिमान्य संभाव्य विकल्पों पर विचार, कारगर उत्पादन, सुपुर्दगी तथा ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण निवारण तथा अवशेष न्यूनतम करने, प्रदूषण नियंत्रणों (द्रव बहिस्त्राव तथा वायु उत्सर्जन) तथा ठोस तथा रासायनिक अवशेष नियंत्रण को संबोधित किया गया है ।
- पर्यावरण मूल्यांकन के आधार पर इक्वेटर बैंक एक 'पर्यावरण प्रबंध योजना' के माध्यम से उन जोखिमों को किस तरह घटाएंगे, उनकी निगरानी तथा प्रबंधन कैसे करेंगे इस पर अपने ग्राहकों के साथ करार करेंगे । प्रतिज्ञापत्र में योजना के अनुपालन के लिए सहमति आवश्यक है। यदि उधारकर्ता सहमत शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो बैंक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा, यदि वह कार्रवाई भी असफल होती है तो उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि बैंक ऋण रद्द करेगा और ऋण की तत्काल चुकौती की मांग करेगा ।
- जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए, उधारकर्ता हितधारियों (एनजीओ तथा परियोजना से प्रभावित समूह) के साथ विचार-विमर्श करता है और उन्हें परियोजना से संबद्ध जोखिमों के संबंध में जानकारी देता है ।
- आवश्यकता होने पर किसी विशेषज्ञ परामर्शदाता (कंसल्टंट) की राय ली जाती है ।

ये सिद्धांत 10 मिलियन अमेरिकी डालरों से अधिक की परियोजनाओं पर लागू होते हैं । वर्ष 2006 के प्रारंभ में सिद्धांतों का समर्थन करनेवाली वित्तीय संस्थाओं ने सिद्धांतों को संशोधित करने के उद्देश्य से हितधारियों के साथ विचार-विमर्श तथा बातचीत शुरू की । संशोधित सिद्धांतों के प्रारूप की एनजीओ हितधारियों ने आलोचना की और उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करनेवाले संयुक्त पेपर में यह तर्क दिया कि इन सिद्धांतों की सबसे गंभीर आलोचना : सतत तथा कड़े कार्यान्वयन का अभाव, की उपेक्षा की गयी है और इसलिए प्रारूप असफल है ।

2006 में प्रारंभ किए गए संशोधित इक्वेटर सिद्धांत

6 जुलाई 2006 को इक्वेटर सिद्धांत वित्तीय संस्थाओं (ईपीएफआइ) ने अंतिम रूप दिए गए संशोधित इक्वेटर सिद्धांतों को शुरू करने की घोषणा की । संशोधित सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आइएफसी) के कार्य-निष्पादन मानक, जिनपर इक्वेटर सिद्धांत अंशतः आधारित हैं, में हाल ही में किए गए संशोधनों को प्रतिबिंबित करते हैं ।

- इक्वेटर सिद्धांत वैश्विक रूप से तथा सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं तथा उनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :
- ये सिद्धांत 10 मिलियन अमरिकी डालरों से अधिक पूंजीगत लागतों वाली परियोजनओं को किए गए सभी वित्तपोषणों पर लागू होते हैं । इस सीमा को 50 मिलियन अमरिकी डालरों से घटाकर 10 मिलियन डालर किया गया ।
- ये सिद्धांत अब परियोजना वित्त संबंधी परामर्शी कार्यकलापों पर भी लागू होते हैं ।
- ये संशोधित सिद्धांत अब विद्यमान परियोजनाओं के उन्नयन अथवा विस्तारों को, जहां अतिरिक्त पर्यावरण अथवा सामाजिक प्रभाव उल्लेखनीय है, विशेष रूप से कवर करते हैं ।
- जहाँ पर्यावरण तथा सामाजिक मामलों के लिए उच्चतर मानक पहले से ही विद्यमान हैं उन देशों पर सिद्धांतों को लागू करने के दृष्टिकोण को सरल तथा कारगर बनाया गया है ।
- प्रत्येक ईपीएफआइ को अब इक्वेटर सिद्धांतों के कार्यान्वयन की प्रगति तथा कार्य-निष्पादन पर वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।
- मज़बूत तथा बेहतर सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी मानकों जिनमें सार्वजनिक परामर्श संबंधी अधिक संतुलित मानक शामिल हैं ।

गैर-सरकारी संगठनों ने संशोधनों का स्वागत किया लेकिन यह तर्क देते हुए सावधान रहे कि इक्वेटर सिद्धांत अब भी सुशासन तथा जवाबदेही संबंधी मूलभूत समस्याओं से ग्रस्त हैं । वे चाहते हैं कि ईपी बैंक अधिक संतुलित सुशासन तथा कार्यान्वयन प्रणालियां अपनाएँ, जैसे 'फ्री राइडर्स' पर कार्रवाई करने के लिए क्रियाविधि तथा एक नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षा ।

उन संस्थाओं के नाम जिन्होंने इक्वेटर सिद्धांत अपनाए हैं :

फरवरी 2006 तक निम्नलिखित संस्थाओं ने सिद्धांतों को अपनाया है :

एबीएन एम्रो बैंक, एन. वी., बान्को ब्राडेस्को, बान्को डू ब्राज़िल, बान्को इटाउ, बान्को इटाउ बीबीए, बैंक ऑफ अमेरिका, बीएमओ फाइनन्शियल ग्रूप, बीटीएमयू, बारक्लेज पीएलसी., बीबीवीए, बीईएस ग्रूप, कॅलियॉन, सीआइबीसी, सिटीग्रूप इं., क्रेडिट स्वीस ग्रूप, काजा नवारा, डेक्सिया ग्रूप, ड्रेस्डनर बैंक, ईकेएफ, एफएमओ, फॉर्टिस, एचएसबीसी ग्रूप, एचवीबी ग्रूप, आइएनजी ग्रूप, जेपीमॉर्गन चेज, केबीसी, मॅनुलाइफ, एमसीसी, मिझुहो कॉर्पोरेट बैंक, मिलिनियम बीसीपी, नेडबैंक ग्रूप, राबो बैंक ग्रूप, रॉयल बैंक ऑफ कॅनडा, स्कॉशिया बैंक, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसएमबीसी, द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड, यूनिबैंको, वेल्स फार्गो, वेस्टएलबी एजी, वेस्टपॅक बैंकिंग कार्पोरेशन ।

वित्तीय संस्थाओं संबंधी कोलेवेक्शियो घोषणा

छह सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता

वित्तीय संस्थाओं का समुचित उद्देश्य आर्थिक विकास और/या वित्तीय प्रतिलाभ को बढ़ाने तक ही सीमित रहने के बजाय पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक न्याय की प्रगति होना चाहिए। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित छह सिद्धांतों को अंगीकार करना होगा :

1. पर्यावरण का स्तर बनाये रखने के प्रति प्रतिबद्धता

वित्तीय संस्थाओं को अधिकाधिक लाभ हासिल करने की प्राथमिकता वाले अपने मिशन से सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर बनाये रखने की परिदृष्टि की ओर अपने मिशन को विस्तारित करना होगा। पर्यावरण का स्तर बनाये रखने के प्रति प्रतिबद्धता के लिए वित्तीय संस्थाओं को, कंपनी कार्यनीतियों तथा प्रमुख कारोबार क्षेत्रों (ऋण, निवेश, हामीदारी, परामर्श) में आर्थिक न्याय के विचार को पूर्णतः समन्वित करना आवश्यक होगा; ताकि शेयरधारकों की संख्या बढ़ाने और ग्राहकों को सतुष्ट करने के साथ पर्यावरण स्तर बनाये रखने के उद्देश्य को समान रूप में रखा जा सके; तथा पर्यावरण स्तर को बनाये रखने के लिए बढ़ावा देनेवाले लेनदेनों को वित्तपोषण करने हेतु सक्रिय रूप से प्रयास किये जा सके ।

2. 'हानि न पहुंचाने' के प्रति प्रतिबद्धता

वित्तीय संस्थाओं को अपने संविभागों और उनके परिचालनों के पर्यावरणीय तथा सामाजिक तौर पर हानिकारक प्रभावों को रोककर और कम कर, हानि न पहुंचाने के प्रतिबद्ध होना चाहिए। पर्यावरणीय तथा सामाजिक हानि को कम करने, जहां वे और उनके ग्राहक परिचालन करते हैं वहां पर्यावरणीय और सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए तथा इससे संबंधित स्थिति की निरंतरता को नष्ट करने वाले लेनदेनों से बचने के लिए वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे एहतियाती सिद्धांतों पर आधारित नीतियां, क्रियाविधियां और मानक तैयार करें ।

3. जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता - वित्तीय संस्थाओं को अपने लेनदेनों के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को वे जिन जोखिमों को स्वीकार करते हैं और जो जोखिम पैदा करते हैं उनका पूरा और उचित हिस्सा भी अदा करना होगा। इसमें समुदायों द्वारा वहन की जानेवाली सामाजिक और पर्यावरणीय लागतों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों का समावेश है ।

4. **जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता -** वित्तीय संस्थाएँ अपने हितधारकों, विशेषकर उन हितधारकों के प्रति जवाबदेह होंगी जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित कंपनियों के कार्यकलापों और दुष्परिणामों से ग्रस्त हैं। जवाबदेही से आशय है, हितधारकों की अपने पर्यावरण एवं अपने जीवन दोनों की गुणवत्ता पर असर करनेवाले वित्तीय निर्णयों में प्रभावशाली भागीदारी होनी चाहिए। यह भागीदारी हितधारकों के अधिकारों का कानून द्वारा सुरक्षित होना सुनिश्चित कर तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से अपनायी गयी प्रणालियों और क्रियाविधियों के जरिए होंगे ।

5. **पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता -** वित्तीय संस्थाओं को शेयरधारकों के प्रति न केवल संतुलित, नियमित और मानकीकृत प्रकटीकरण के जरिए पारदर्शी होना चाहिए, बल्कि वित्तीय कंपनियों की नीतियों, क्रियाविधियों और लेनदेनों संबंधी विशेषीकृत जानकारी संबंधी हितधारक की आवश्यकताओं के प्रति सजग रहकर भी पारदर्शी होना चाहिए। वाणिज्यिक गोपनीयता हित धारकों को जानकारी नकारने के कारण के रूप में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।

6. **टिकाऊ बाज़ार और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता** - वित्तीय संस्थाओं को निरंतरता का समर्थन करने वाली तथा सामाजिक और पर्यावरणीय बाह्य लागत का पूर्ण लागत लेखांकन का समर्थन करने वाली सार्वजनिक नीति, विनियामक और/या बाज़ार प्रणालियों का सक्रिय समर्थन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाज़ार निरंतरता का समर्थन करने में सक्षम हैं।

स्टर्न समीक्षा : जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र - निष्कर्षों का सारांश

यदि हम अभी कठोर कार्रवाई करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को टालने के लिए अभी भी समय है।

"जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र" संबंधी स्टर्न समीक्षा जुलाई 2005 में यू.के के चान्सलर ऑफ एक्सचेकर ने घोषित की। उक्त समीक्षा के "निष्कर्षों का सारांश" नीचे दिया गया है :

इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य अत्यधिक प्रबल है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक खतरा है और विश्व को इस खतरे की ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। तथा आर्थिक लागतो पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है और लागतों तथा जोखिमों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन सभी दृष्टियों से, उनके दृष्टिकोण से प्राप्त साक्ष्य एक सरल निष्कर्ष तक ले जाता है : कार्रवाई न करने की आर्थिक लागतों की तुलना में ठोस और शीघ्र कार्रवाई के लाभ कहीं अधिक प्रभावशाली होंगे।

जलवायु परिवर्तन से विश्व-भर के लोगों के जीवन के मूलभूत तत्वों पर असर होगा - जल, खाद्योत्पादन, स्वास्थ्य और पर्यावरण। करोड़ों लोगों को वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण भूख, पानी की तंगी और तटवर्ती बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। औपचारिक आर्थिक मॉडलों से प्राप्त परिणामों का उपयोग करते हुए उक्त समीक्षा यह अनुमान करती है कि यदि हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो जलवायु परिवर्तन की समग्र लागत और जोखिम प्रत्येक वर्ष, अब और हमेशा, वैश्विक सकल देशी उत्पाद के कम से कम 5 प्रतिशत की सदा के लिए हानि के बराबर होगी। यदि व्यापक जोखिम और असर को विचार में लिया जाता है तो नुकसान का अनुमान सकल देशी उत्पाद के 20 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ सकेगा। इसके विपरीत, -जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को टालने के लिए ग्रीन हाउस वायु उत्सर्जन कम करने की लागत प्रति वर्ष वैश्विक सकल देशी उत्पाद के लगभग 1 प्रतिशत तक सीमित रखी जा सकती है।

आगामी 10-20 वर्ष में किये जानेवाले निवेशों का इस सदी के उत्तरार्ध में तथा अगली सदी में जलवायु पर गहरा असर होगा। अब और आनेवाले दशकों में हमारी कार्रवाइयां आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप के बड़े विघटन का जोखिम खड़ी कर सकेंगी, उसी मात्रा में जिस मात्रा में बड़े युद्धों और 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध की आर्थिक मंदी से संबंधित जोखिम ने किया था। इन परिवर्तनों को पलटाना मुश्किल या असंभव होगा। इसलिए तत्पर और ठोस कार्रवाई आवश्यक है। चूँकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसके प्रति प्रतिक्रिया भी अंतर्राष्ट्रीय ही होनी चाहिए। यह प्रतिक्रिया दीर्घावधि उद्देश्यों तथा ढाँचे संबंधी करार, जिससे आगामी दशक में कार्रवाई को तेज होगी, के सम्मिलित परिदृश्य पर आधारित होगा और वह राष्ट्रीय, धार्मिक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के लिए परस्पर सहायक दृष्टिकोणों पर खड़ा करना होगा। यह प्रतिक्रिया दीर्घावधिक लक्ष्यों के संबंध में समान दृष्टि और अगले दशक में कार्रवाई तेज करने की रूपरेखा से संबंधित सहमति पर आधारित होनी चाहिए तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परस्पर समर्थक दृष्टिकोणों के बल पर विकसित होनी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन का वृद्धि और विकास पर गंभीर असर हो सकता है

उत्सर्जन को रोकने हेतु यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का संकेंद्रण शीघ्र ही 2035 तक में औद्योगिकीकरण के पूर्व के स्तर के दुगुने स्तर तक पहुंच सकता है जो वस्तुतः वैश्विक औसत तापमान में 2°सें. से अधिक की वृद्धि करेगा। दीर्घावधि में 50 प्रतिशत से अधिक संभावना है कि तापमान में वृद्धि 5.0 प्रतिशत से अधिक होगी। यह वृद्धि असल में बहुत ही खतरनाक होगी जो पिछले हिम युग से आज तक के औसत तापमानों में हुए परिवर्तन के बराबर होगी। इस प्रकार विश्व के भौतिक भूगोल के मूलभूत परिवर्तन से मानवी भूगोल, - जहाँ लोग रहते हैं और जिस तरह से वे अपना जीवन यापन करते हैं, में भारी परिवर्तन होकर रहेंगे।

तापमान वृद्धि के अधिक संयत स्तरों पर भी बदलते हुए मौसम पैटर्न के आंचलिक तथा क्षेत्रीय प्रभावों के अध्ययन से लेकर वैश्विक परिणामों के आर्थिक मॉडलों तक के सभी साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि विश्व उत्पाद, मानवी जीवन तथा पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर होगा।

सभी देश इसकी चपेट में आएंगे। सब से अधिक असुरक्षित - निर्धनतम देश और आबादी - को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के कारणों में उनका योगदान बहुत कम है। बाढ़, सूखा और तूफानों के साथ-साथ उग्र मौसम की लागत अमीर देशों सहित सब के लिए भी पहले ही बढ़ रही है।

जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन - अर्थात् लचीलापन लाने और खर्च कम करने के लिए कदम उठाना, अनिवार्य है। यह अब संभव नहीं है कि आगामी दो या तीन दशकों में होनेवाले जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, परंतु यह अब भी संभव है कि कुछ हद तक उदाहरण के लिए बेहतर सूचना, सुधारित आयोजना और अधिक मौसमानुकूल फसल और साधन सामग्री प्रदान कर उसके दुष्परिणामों से अपने समाज और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाया जाए। अनुकूलन की लागत केवल विकासशील देशों में ही प्रति वर्ष अरबों डॉलर होगी और इससे पहले से ही दुर्लभ संसाधनों पर और अधिक दबाव बढ़ेगा। अनुकूलन प्रयासों में, विशेषकर विकासशील देशों में, तेजी लायी जानी चाहिए।

जलवायु संतुलन की लागत अत्यधिक है परंतु उसका वहन किया जा सकता है :
इसमें विलंब खतरनाक तथा कई अधिक महँगा होगा।

जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के जोखिम को उल्लेखनीय रूप से कम किया जा सकता है यदि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का स्तर 450 और 550 पीपीएम CO_2, समतुल्य (CO_2e) के बीच स्थिर रखा जाए। विद्यमान स्तर आज 430 पीपीएम CO_2e है और वह हर वर्ष 2 पीपीएम से अधिक बढ़ रहा है। इस दायरे में स्थिरीकरण के लिए उत्सर्जन 2050 तक मौजूद स्तरों से कम से कम 25 प्रतिशत और शायद उससे कई अधिक नीचे होना आवश्यक होगा। अततः, किसी भी स्तर पर संतुलन के लिए आवश्यक है कि वार्षिक उत्सर्जन मौजूदा स्तरों से 80 प्रतिशत से अधिक नीचे लाया जाए।

यह एक प्रमुख चुनौती है, परंतु निरंतर दीर्घावधि तक कार्रवाई करने से कार्रवाई न करने के जोखिमों की तुलना में कम खर्च में इसका सामना किया जा सकता है। 500 और 550 पीपीएम CO_2e के बीच स्थिरीकरण की स्थिति हासिल करने के लिए वार्षिक खर्च का केंद्रीय अनुमान वैश्विक खर्च के लगभग 1 प्रतिशत है, यदि हम अभी ठोस कार्रवाई की शुरुआत करते हैं।

यदि कार्यक्षमता में होने वाले प्रमुख लाभ हैं, या ठोस सह -लाभ हैं, उदाहरण के लिए घटे हुए वायु प्रदूषण से होने वाले लाभ की मापा जाए तो लागत भी और कम हो सकती है। लागत तब उच्चतर होगी, निम्न कार्बन टेक्नोलॉजी में नवीनता अपेक्षा से धीमी हो या यदि नीति- निर्धारक उन आर्थिक साधनों का अधिक से अधिक उपयेाग कराने में असफल रहे हो। जिनसे जहां कहीं, जब कभी और जिस किसी भी तरह से उत्सर्जन कम किया

जा सकता है। उत्सर्जन को 450 पीपीएम CO_2e पर स्थिर करने के लक्ष्य की ओर बढ़ना पहले ही कठिन और मँहगा हो चुका है। यदि हम विलंब करते हैं तो 500-550 पीपीएम CO_2e पर स्थिरीकरण का अवसर गवाँ सकते हैं।

सभी देशों में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई अपेक्षित है, और अमीर या गरीब देशों के विकास की इच्छा को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है

में, कार्रवाई के खर्च को समान रूप से वितरित नहीं किया है। अमीर विश्व 2050 तक 60-80 प्रतिशत के उत्सर्जन के अत्यधिक कटौती की जिम्मेदारी उठा भी लें, फिर भी, विकासशील देशों को भी ठोस कार्रवाई करनी होगी। परंतु, विकासशील देशों से यह अपेक्षित नहीं होना चाहिए कि वे इस कार्रवाई की पूरी लागत वहन करें को तथा उन्हें करनी भी नहीं पड़ेगी। स्वच्छ विकास प्रणाली सहित निम्न कार्बन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए धनी देशों के कार्बन बाज़ार से वित्तपोषण आने लगा है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई का समर्थन करने के लिए इस वित्त प्रवाह का रूपांतरण आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई से उल्लेखनीय कारोबारी अवसर भी पैदा होंगे क्योंकि न्यून कार्बन ऊर्जा टेक्नोलॉजी तथा अन्य न्यून-कार्बन वस्तुओं और सेवाओं के नये बाज़ार तैयार हुए हैं । ये बाज़ार हर वर्ष अरबों डॉलरों का कारोबार विकसित कर सकते हैं और तदनुसार इन क्षेत्रों में रोज़गार भी बढ़ेगा ।

यह ज़रूरी नहीं कि जल-वायु परिवर्तन रोकना और वृद्धि तथा विकास को बढ़ावा देना इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़े । ऊर्जा टेक्नोलॉजी में तथा अर्थव्यवस्था के विन्यास में परिवर्तनों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से विकास के संबंध को अलग करने के अवसर पैदा किये है। वस्तुतः, जलवायु परिवर्तन को नज़रअंदाज करना आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाएगा । जलवायु परिवर्तन का सामना करना दीर्घावधि वृद्धि के लिए सहायक नीति होगी और उसे इस प्रकार अमल में लाया जा सकता है ताकि अमीर अथवा गरीब देशों की विकास की इच्छाएं उससे सीमित नहीं हों ।

उत्सर्जन में कमी करने के विविध विकल्प हैं; उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु नीतिगत कार्रवाई आवश्यक है

बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, मांग में परिवर्तन के ज़रिए तथा बिजली, ताप और परिवहन की स्वच्छ टेक्नोलॉजी को अपनाने से उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। 550 पीपीएम CO_2e तक या उससे नीचे वातावरणीय संकेंद्रणों के स्थिर करने हेतु विश्व-भर के बिजली क्षेत्र को 2050 तक कम से कम 60 प्रतिशत कार्बन रहित करना आवश्यक होगा और परिवहन क्षेत्र में भी उत्सर्जन में भी अत्यधिक कमी आवश्यक होगी।

नवीकरण योग्य ऊर्जा तथा अन्य न्यून कार्बन ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग में अत्यधिक विस्तार के बावजूद 2050 में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के आधे से अधिक ऊर्जा पुराने ईंधन से आएगी। तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं सहित विश्व भर में कोयला महत्वपूर्ण ऊर्जा बना रहेगा। वातावण को बिना कोई क्षति पहुंचाए, पुराने ईंधन का उपयेाग जारी रहने देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्बन पर कब्जा करना और संग्रहण आवश्यक होगा।

ऊर्जा से इतर उत्सर्जन, जैसे वन कटाई और कृषि तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होने वाले उत्सर्जन में भी कटौती आवश्यक है। ठोस, विवेकपूर्ण नीति के चयन से, विकास जारी रखते हुए अपेक्षित दायरे में स्थिरीकरण हेतु विकसित और विकासशील -दोनों अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक मात्रा में उत्सर्जन कम करना संभव होगा।

जलवायु परिवर्तन विश्व-भर में पहली व्यापक बाज़ार असफलता है और वह बाज़ार के अन्य दोषों को प्रभावित करता है। कारगर वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए नीति के तीन मूलभूत तत्व आवश्यक हैं। पहला, कार्बन का मूल्य निर्धारण, जिसे कर, व्यापार अथवा विनियमन से कार्यान्वित किया जाएगा । दूसरा, नवोन्मेष तथा न्यून - कार्बन टेक्नोलॉजी को समर्थन करने की नीति; तथा तीसरा है ऊर्जा दक्षता की बाधाओं को दूर करने के लिए तथा लोगों को इस बात की जानकारी देने, शिक्षित करने तथा मनाने के लिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति वे क्या कर सकते हैं, कार्रवाई करना।

जलवायु परिवर्तन के प्रति दीर्घावधि लक्ष्यों की आपसी समझ तथा कार्रवाई की रूपरेखा संबंधी सहमति पर आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिकिया अनिवार्य है

कई देश और क्षेत्र पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। ईयू, कैलिफोर्निया और चीन अधिक महत्वाकांक्षी नीतियों को अपना रहे हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेम वर्क कन्वेन्शन और क्योटो प्रोटोकोल ने विभिन्न भागीदारी और अन्य दृष्टिकोणों के साथ अंतराराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक आधार प्रदान किया है। परंतु विश्व-भर में अब अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई अपेक्षित है।

जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में अपना योगदान करने हेतु, विविध परिस्थितियों का सामना करने वाले देश विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करेंगे। परंतु, अलग-अलग देशों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक देश, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, इस समस्या का एक भाग है। दीर्घावधि लक्ष्यों का अंतरराष्ट्रीय आझा परिदृश्य तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा बनाना अत्यावश्यक है।ताकि प्रत्येक देश इन सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति में अपनी भूमिका अदा कर सके।

स्रोत

- इकॉनॉमिस्ट, 6 नवंबर 2004
- आइएफसी वेबसाइट
- बिज़नेस लाइन्स जर्नल ऑन मैनेजमेंट - दिसंबर 2004 अंक
- ए ब्रीफ हिस्टरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग - विलियम बॅयू विमेन्स फीचर सर्विस, अगस्त 2004
- नेविलेवार्डडाइरेक्ट
- रियूटर्स न्यूज सर्विस
- रिस्क एंड अपॉर्च्युनिटी : बेस्ट प्रैक्टिस इन नॉन - फाइनान्शियल रिपोर्टिंग - जॉन एल्किंग्टन
- एन्वायरन्मेंटल आस्पेक्ट ऑफ सरदार डैम - आशीष कोठारी और राहूल एन. राम
- Bank Track info@banktrack.org www.banktrack.org
- www.wwf.ch.
- info@wwf.ch
- http://www.globalreporting.org-Global Reporting Initiative website
- www.ft.com/sustainablebanking
- http://science.howstuffworks.com/carbon-tradinhg.htm
- http://www.investopedia.com/ask/answers/04/060404.asp
- http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/Global_Warming/Older/Impacts.html
- http://www/pwc.k12.nf.ca/cida/manifesto/globalwarming.html
- http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/07413111521.htm
- http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf
- http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/ stern_review_economics_climate_change/ stern_review_report.cfm
- http://www/equator-principles.com/
- http://www.foe.org/camps/intl/declaration.html
- http://www.unep.org/
- http://www.clsa.com/public/about_clsa/index.cfm
- http://www.ft.com/cms
- http://www.aseed.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=312
- http://www.carbongtrading.com/ct/ct2.htm